

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 24.02.2021

अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना लालगंज से उ0नि0 वंशीधर राय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के हंडौर तिराहे के पास से एक व्यक्ति जामिद पुत्र हामिद अली निवासी बाबूतारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 107/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

- जामिद पुत्र हामिद अली निवासी बाबूतारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम– उ0नि0 वंशीधर राय मय हमरहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

अवैध असलहे से फायरिंग करने वाले, वायरल वीडियो से सबंधित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा बरामद– (थाना संग्रामगढ़)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानाक्षेत्रों में अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर/वीडियो पर तत्परता से कार्यवाही करने के क्रम में थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 प्रकाश नारायण यादव मय हमराह द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहे से फायरिंग करते हुए वायरल वीडियो से सबंधित अभियुक्त दीपेन्द्र सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासी हरियापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के खनवारी नगर पुलिया के पास से 01 अदद तमन्चा (पिस्टल) 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 34/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। (दिनांक 22/23.02.21 को सोशल मीडिया पर उक्त अभियुक्त दीपेन्द्र का अवैध असलहे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में जानकारी कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 32/21 धारा 286 भादंवि का अभियोग अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

- दीपेन्द्र सिंह पुत्र मृत्युंजय सिंह निवासी हरियापुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम– उ0नि0 प्रकाश नारायण यादव मय हमराह थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

650 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 शत्रुघ्न वर्मा मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के कुसेमर चौराहे के पास से मु0अ0सं0 31/20 धारा 420 भादंवि से संबंधित वांछित अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र शिव प्रकाश सिंह निवासी गुरुबक्ष सिंह का पुरवा थाना गदागंज जनपद रायबरेली को 650 ग्राम अवैध गांजा व मु0अ0सं0 31/20 धारा 420 भादंवि से संबंधित 2030/- रु0 नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

- रोहित सिंह पुत्र शिव प्रकाश सिंह निवासी गुरुबक्ष सिंह का पुरवा थाना गदागंज जनपद रायबरेली

पुलिस टीम– उ0नि0 शत्रुघ्न वर्मा मय हमराह थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।